**[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]**

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

**नई दिल्ली, तारीख 9 जून, 2017**

**19 ज्येष्ठ, 1939 शक**

**अधिसूचना सं.12/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)**

**सा.का.नि. (अ)--**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 65ख के खंड (55) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के खंड (ख) के अनुसरण में और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 3 और सेवा कर नियम, 1994 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण में सा.का.नि. संख्यांक 648(अ), तारीख 16 सितंबर, 2014, सा.का.नि. संख्यांक 649(अ), तारीख 16 सितंबर, 2014, सा.का.नि. संख्यांक 651(अ), तारीख 16 सितंबर, 2014 और सा.का.नि. संख्यांक 653(अ), तारीख 16 सितंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड की क्रमश: अधिसूचना सं. 20/2014-सेवा कर, तारीख 16 सितंबर, 2014, अधिसूचना सं. 21/2014-सेवा कर, तारीख 16 सितंबर, 2014, अधिसूचना सं. 27/2014-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), तारीख 16 सितंबर, 2014 और अधिसूचना सं. 29/2014-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), तारीख 16 सितंबर, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था,

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रधान मुख्य आयुक्तों ;

(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर मुख्य आयुक्तों ;

(iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रधान आयुक्तों ;

(iv) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्तों ;

(v) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्तों (अपील) ;

(vi) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्तों (संपरीक्षा) ; और

(vi) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के किसी अन्य अधिकारी

को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है और उनमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिकारिता के संबंध में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अध्याय V और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सभी शक्तियां निहित करता है ।

2. यह अधिसूचना, केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख को प्रवृत्त होगी ।

**[फा.सं. 137/17/2017-सेवा कर]**

**(डा. श्रीपार्वती एस. एल.)**

**अवर सचिव, भारत सरकार**